न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी : पीयूष समारिया I.A.S.

प्रकरण संख्या –31 / 2026 (आव0व0अधि0)
GCMSNO. 2026/88

सरकार जर्ये प्रवर्तन अधिकारी कार्यालय जिला रसद अधिकारी कोटा

––प्रार्थी.

बनाम

फर्म जय श्री महाकाल वेज पुलाव संचालक जितेन्द्र कोली पुत्र तेजकरण कोली वल्लभ नगर, चौराहा कोटा

––अप्रार्थी.

प्रार्थना पत्र अन्र्तगत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित लीक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) ऑर्डर 2000 के तहत जब्तशुदा 1 घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात करने बाबत् ।

उपस्थितः–

1. पेरोकार रसद
2. अप्रार्थी स्वयं उपस्थित

निर्णय

दिनांकः– 19.05.2026

1. संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर द्वारा चलाये जा रहे घरेलू सिलेण्डर के दुरूपयोग/अवैध रिफलिंग इत्यादि के विरूद्व संचालित अभियान के तहत दिनांक 18.02.2026 को जांच दल में सम्मिलित समीक्षा भटनागर, प्रवर्तन निरीक्षक, श्री विपिन कुमार जैन, प्रवर्तन अधिकारी व श्रीमति सन्ध्या सिन्हा प्रवर्तन अधिकारी द्वारा घरेलू एल पी जी सिलेण्डरों के दुरूपयोग से हो रही दुर्घटनाओं एवं वाहन में अवैध रिफलिंग किये जाने व राजस्व हानि को रोकने के सम्बन्ध में कार्यवाही किये जाने के क्रम में वल्लभ नगर चौराहा कोटा क्षेत्र मे संचालित जय श्री महाकाल वेज पुलाव पर पहुंचे । मौके पर जितेन्द्र कोली पुत्र तेजकरण कोली निवासी फतेहगढी मार्ग, रामपुरा कोटा उपस्थित मिले । जिन्होने स्वयं को उक्त फर्म / दुकान का मालिक होना बताया जिनकी उपस्थिति में जांच का कार्य सम्पादित किया गया है । दुकान परिसर का अवलोकन करने पर उक्त दुकान में 01 घरेलू गैस सिलेण्डर आई.ओ. सी.एल.(14.2किग्रा क्षमता) गैस चूल्हे से जुडा पाया गया । उक्त घरेलू गैस सिलेण्डर के व्यवसायिक उपयोग के सम्बन्ध में मौके पर उपस्थित फर्म के मालिक से पूछताछ करने पर उनके द्वारा कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया तथा न ही इस सम्बन्ध में कोई दस्तावेज साक्ष्य मौके पर प्रस्तुत किये गये । मौका स्थिति से स्पष्ट होता है कि घरेलू गैस सिलेण्डर जो राज्य सरकार द्वारा घरेलू उपयोग हेतु अनुदानित दर पर उपभोक्ताओं को दिये जाते है का इनके द्वारा अवैध रूप से संग्रहण एवं दुरूपयोग किया जा रहा है । मौके पर 01 घरेलू गैस सिलेण्डर 14.2 किग्रा को जब्त सरकार किया जाकर मौके पर सुपुर्दगी नामा बनाकर अरविन्द गैस एजेंसी, कोटा के डिलीवरी मेन श्री रणवीर गोचर पुत्र श्री कन्हैयालाल गोचर को लोक सुरक्षा एवं साक्ष्य की दृष्टि से सुपुर्द किया गया, जिनका कुल अनुमानित मूल्य 2809/– अक्षरे दौ हजार आठ सौ नौ रूपये है ।

जब्तशुदा गैस सिलेण्डरों का विवरण निम्न प्रकार है–

क्र. सं.	सरकारी तेल कंपनी का नाम	सिलेण्डर का एस आर कमांक	सिलेण्डर पर एलपीजी का उपदर्शित मानक भार / क्षमता किग्रा	खाली सिलेण्डरों का उपदर्शित भार /टेयर वेट किग्राम में ।	भौतिक सत्यापन पर सिलेण्डर का भार मय एलपीजी किग्राम में ।	शुद्व गैस का भार (6–5) किग्राम में	गैस सिलेण्डर का प्रकार
1	IOCL	21768	14.2	16.4	25.4	8.6	घरेलू

इस प्रकार वल्लभ नगर चौराहा कोटा क्षेत्र में संचालित जय श्री महाकाल वेज पुलाव के मालिक जितेन्द्र कोली के द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर का दुरूपयोग किया

जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित लीक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आदेश 2000 के खण्ड–3(1)(ए), (बी) व (सी) में निहित प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन किया है । अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय का विनियमन एवं वितरण) आदेश के तहत उक्तानुसार अधिग्रहित 01 घरेलू गैस सिलेण्डर (14.2 किग्रा क्षमता) राजसात करने का आदेश प्रदान करें ।

2. प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया । अप्रार्थी स्वयं उपस्थित, अप्रार्थी ने अपना जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली है । पेरोकार रसद एवं अप्रार्थी को सुना गया ।
3. पेरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ही अपनी बहस में दोहराया है ।
4. अप्रार्थी ने अपने जवाब में कथन किया है कि दिनांक 18.2.2026 को दोपहर 1.00 बजे जितेन्द्र कोली अपने ग्राहकों का माल घरेलू सिलेण्डर लगाकर गरम कर रहा था, क्योंकि कॉमर्शियल सिलेण्डर समाप्त हो चुका था, इसलिए मजबूरी में जितेन्द्र कोली संचालक महाकाल वेज पुलाव द्वारा अपने नियमित ग्राहकों के लिए माल को गरम करने हेतु मात्र 5 से 10 मिनट के लिए घरेलू गैस सिलेण्डर लगाया था तथा उसी समय प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा निरीक्षण द्वारा थडी पर आकर जांच की गई और जितेन्द्र कोली द्वारा घरेलू सिलेण्डर का उपयोग करने के कारण कार्यवाही कर घरेलू सिलेण्डर को जब्त किया गया । प्रार्थी थडी लगाकर बडी मुश्किल से अपने परिवार का पालन पोषण करता है और प्रार्थी के उपर ही अपने सम्पूर्ण परिवार की जिम्मेदारी है तथा पूर्व से ही जितेन्द्र कोली अपनी उक्त थडी पर हमेशा कॉमर्शियल सिलेण्डर का ही उपयोग करता है, घरेलू गैस सिलेण्डर का कभी भी दुरूपयोग नहीं किया है और ना ही भविष्य मे करेगा तथा हमेशा कॉमर्शियल सिलेण्डर का ही उपयोग करेगा । अतः प्रार्थी के विरूद्व की जा रही कार्यवाही को निरस्त करने की कृपा करें ।
5. हमने पेरोकार सरकार की बहस सुनी, पत्रावली का अवलोकन किया । पेरोकार सरकार का कथन है कि राज्य सरकार द्वारा घरेलू उपयोग हेतु अनुदानित दर पर उपभोक्ताओं को दिये जाने वाले घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध संग्रहण एवं दुरूपयोग कर जय श्री महाकाल वेज पुलाव संचालक जितेन्द्र कोली के द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित लीक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आदेश 2000 के उपबंधों का स्पष्ट उल्लंघन बताया है तथा उक्तानुसार अधिग्रहित कुल 01 घरेलू गैस सिलेण्डर (14.02 किग्रा क्षमता) को राजसात करने हेतु निवेदन किया है । अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब में कथन किया है कि वह अपनी दुकान पर कॉमर्शियल सिलेण्डर ही काम मे लेता है किन्तु दिनांक 18.2.2026 को कॉमर्शियल गैस सिलेण्डर खतम हो जाने पर 5–10 मिनट ही घरेलू गैस सिलेण्डर लगाया था उसी समय निरीक्षक द्वारा कार्यवाही करते हुए घरेलू गैस सिलेण्डर जब्त कर लिया है । अप्रार्थी ने आगे यह भी कथन किया है वह कभी घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग नहीं करेगा तथा उनके विरूद्व कार्यवाही को निरस्त करने का निवेदन किया है । अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं एवं अप्रार्थी की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जब्तशुदा वाहन वापस अप्रार्थी को सुपुर्द किया जाना उचित पाते है ।
6. परिणामतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर अधिग्रहित कुल 01 घरेलू उपयोग के सिलेण्डर को वापस अप्रार्थी को सुपुर्द करने के आदेश दिये जाते है ।
7. निर्णय आज दिनांक 19 .05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(पीयूष समारिया)
जिला कलेक्टर, कोटा
जिला कलक्टर
कोटा